

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

अज अदालत

बनाम

सरकार

नाम्बर 18/ सन् 2021

क्रिया मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
28/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/932-403 दिनांक <u>28/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>शाखा</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>5 P P B</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2026-2028</u> के खाता सं. <u>48</u> में <u>S.B.B.J. शाखा गवाहिंदपुर</u> <u>द्वारा</u> के स्थान पर <u>S.B.B.J. शाखा गवाहिंदपुर</u> <u>द्वारा</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>5 P P B</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2026-2028</u> के खाता सं. <u>48</u> में <u>S.B.B.J.</u> <u>शाखा गवाहिंदपुर</u> <u>द्वारा</u> के स्थान पर <u>शाखा</u> <u>S.B.B.J. गवाहिंदपुर</u> <u>द्वारा</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

ईम-भारतकाल

